(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – 101/2016/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामप्रताप पि. रामलाल जाति बलाई नि. ओसाव तहसील सुनेल
2. लक्ष्मीनारायण पि. रामलाल जाति बलाई नि. ओसाव तहसील सुनेल
3. मांगीलाल पि. कालू जाति बलाई नि. ओसाव तहसील सुनेल
4. कैलाशबाई बेवा भवानीराम जाति बलाई नि. ओसाव तहसील सुनेल
5. मोहनलाल पि. रामप्रसाद जाति कुल्मी नि. ओसाव तहसील सुनेल
6. रामगोपाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. ओसाव तहसील सुनेल

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पि. नन्दा जाति बलाई नि. ओसाव तहसील सुनेल
2. रामेश्वर पि. मांगीलाल जाति बलाई नि. ओसाव तहसील सुनेल
3. ओमप्रकाश पि. मांगीलाल जाति बलाई नि. ओसाव तहसील सुनेल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री सुभाष दांगी

वकील अप्रार्थीगण – श्री रामगोपाल राठौर

आदेश दिनांक : 08/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 306 की आराजी किता 16 रकबा 64 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4 के सहखातेदारी की है जिसमें से ख.नं. 386 शामिल नं. 388 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा एवं ख.नं. 389 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4 के हिस्से व कब्जा काश्त की है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2024

Scanned with CamScanner

(2)

इसी प्रकार ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2070-73 के खाता सं. 285 की आराजी किता 8 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं. 5 के सहखातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसमें से ख.नं. 958 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि विवादित है।

इसी प्रकार ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2070-73 के खाता सं. 308 की आराजी किता 12 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं. 6 के सहखातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसमें से ख.नं. 376 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि विवादित है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु अप्रार्थीगण ने ख.नं. 388 व ख.नं. 389 के बीच ख.नं. 958 के उत्तरी पूर्वी कोने तथा ख.नं. 376 की उत्तर दिशा में अवैधानिक रूप से जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रार्थीगण की फसल मे ट्रेक्टर निकाल कर भूमि को खुर्द-बुर्द करने, नुकसान करने, फसल के बीच नया रास्ता निकालने का अवैधानिक प्रयास कर रहे है जिससे प्रार्थीगण के वैधानिक हक एवं अधिकारों को भारी अपरिमित क्षति होने की संभावना हो गई है। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण कब्जेधारी खातेदार टीनेन्ट है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खाते, कब्जे की भूमि में फसल बर्बाद कर ट्रेक्टर से नया रास्ता बनाने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भारी अपरिमित क्षति की संभावना रहेगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 386 शामिल नं. 388 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा एवं ख.नं. 389 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 958 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा एवं ख.नं. 376 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि मे अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से जबरन बेजा मदाखलत दखलन्दाजी नहीं करे एवं प्रार्थीगण की फसल को खुर्द-बुर्द नहीं करे उक्त भूमि में ट्रेक्टर से नया रास्ता नहीं निकाले। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम ओसाव की जमाबंदी के खाता सं. 306, 285, 308 की नकल व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT FEE

अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 की ओर एडवोकेट श्री रामगोपाल शर्मा ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को गलत बताकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं विशेष कथन में निवेदन किया कि विवादित रास्ता अप्रार्थीगण का कदीमी रास्ता सदैव से रहा है जिसका वे साधिकार एलानिया शांतिपूर्ण तरीके से निरन्तर उपयोग करते आ रहे है। ग्राम पंचायत ओसाव द्वारा इसी रास्ते बाबत दिनांक 02.11.2015 को अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय दिया है जिसमें सरपंच ने प्रार्थीगण का रिश्तेदार होने से भाग नहीं लिया था। तहसीलदार सा. पिड़ावा ने जन सुनवाई दिनांक 08.12. 2015 के आदेश से प्रार्थीगण को विवादित रास्ता बंद नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। शासन उप सचिव गृह विभाग ने भी अपने पत्रांक गृह/6/2016 दिनांक 14.09.2016 को जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को विवादित रास्ते बाबत उचित कार्यवाही हेतु आदेशित किया है। तहसीलदार पिड़ावा के आदेश की पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 05.07.2016 को रास्ता बहाल करवा दिया है तथा प्रार्थीगण भी रास्ता बंद नहीं करने बाबत सहमत हो गये थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी स्वीकारोक्ति से अब रास्ता बंद नहीं कर सकते है। लॉ ऑफ इस्पोटल से पाबन्द है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। जवाब पत्र के साथ ग्राम पंचायत ओसाव का निर्णय दिनांक 02.11.2015 की प्रति , तहसीलदार पिड़ावा का नोटिस दिनांक 11.12.2015 व दिनांक 21.12.2015 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक 05.07.2016 की प्रति, राजस्थान सरकार गृह विभाग का पत्र दिनांक 14.09.2016 की प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण की ओर से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झालावाड का निर्णय दिनांक 08.07.2019 की प्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2019 की प्रति पेश की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं पेश दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्धान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम ओसाव की विवादित आराजियात के संबंध में उभयपक्षों के मध्य लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है जिस बाबत समय–समय पर मौका, रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश जारी किये गये है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में ग्राम

Chhar

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2024

Scanned with CamSca

पंचायत ओसाव एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा भी निर्णय पारित किया है। ऐसे मे प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस नहीं है।

आदेश

इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना अप्रार्थीगण की होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हों।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with CamScanner